

प्रेस नोट

दिनांक 08.09.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.09.2026 की रात्रि करीब 11:30 बजे बच्चाराम पासवान पुत्र रामतीर्थ पासवान निवासी निहालपुर पसियन पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान कालीप्रसाद पुत्र रामआसरे पासवान निवासी निहालपुर पसियन पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बच्चाराम पासवान के गले, हाथ, कान एवं शरीर के अन्य स्थानों पर चोट पहुंचाकर घायल कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

कार्यवाही—

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद व वांछित अभियुक्त कालीप्रसाद की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गड़रियन पुरवा तिराहा के पास से दिनांक 08.09.2026 को समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कालीप्रसाद पुत्र रामआसरे पासवान निवासी निहालपुर पसियन पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 282/2026, धारा 109(1) बी0एन0एस0, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. अति0प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह, थाना तरबगंज।
2. का0 माधवेश तिवारी
3. का0 दीपांशू

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 08.09.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना एवं कार्यवाही का विवरण—

दिनांक 07.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान चुंगी नाका के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 109 पैकेटों में कुल 302 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम दीपक कुमार पुत्र ईश्वरदीन, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी सैदलपुर, थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 नगर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दीपक कुमार पुत्र ईश्वरदीन निवासी सैदलपुर, थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0— 0828/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 109 पैकेटों में कुल 302 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. उ0नि0 विभव तिवारी
2. का0 पंकज कुमार
3. का0 अनिल यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।